संख्या–वे0आ0–2–289/दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 14 जून, 2012

विषयः वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–6) में वित्त विभाग के अन्तर्गत मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें विभाग के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) द्वारा दसवें प्रतिवेदन (भाग–6) में वित्त विभाग के अन्तर्गत मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें विभाग के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया :––

(1) मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें संगठन में लेखा परीक्षा संवर्ग के उपलब्ध पदों पर निम्न व्यवस्था की जाय :––

(I) लेखा परीक्षक के पद पर वर्तमान में निर्धारित वेतनमान रू0 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/–) यथावत बनाये रखा जाय। उक्त पद पर वर्तमान में निर्धारित अर्हता, स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी सहित कम्प्यूटर में "ओ" लेवल का डिप्लोमा, के साथ लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था की जाय।

(II) ज्येष्ठ लेखा परीक्षक वेतनमान रू0 5500–9000 (पुनरीक्षित वेतन संचना में वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–) के पदों पर आने के लिए प्रथम विभागीय परीक्षा पास करने सम्बन्धी शर्त को समाप्त कर दिया जाय। अन्य व्यवस्था यथावत् बनाये रखी जाय।

(III) सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पदों पर अनुमन्य वेतनमान रू0 7450–11500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–) के स्थान पर संशोधित/ उच्चीकृत वेतनमान रू0 7500–12000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य

वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/–) दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुये वास्तविक लाभ तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(IV) ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड–1 वेतनमान रू0 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–) के पदों को सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पदों में समायोजित कर दिये जायें।

(V) सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों में से शत–प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाय।

(VI) लेखा परीक्षक तथा ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के कुल पदों को 01 एवं 03 के अनुपात में विभाजित करते हुए कमशः लेखा परीक्षक तथा ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पदों की संख्या चिन्हित की जाय।

(2) सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पदों को राजपत्रित घोषित किये जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में समिति का मत है कि इस सम्बन्ध में शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया जाय।

(3) जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी तथा कनिष्ठ प्रवक्ता के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 7500–12000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/–) के स्थान पर संशोधित/ उच्चीकृत वेतनमान रू0 8000–13500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) अनुमन्य कराया जाय। कनिष्ठ प्रवक्ता का पदनाम वरिष्ठ प्रवक्ता रखा जाय। साथ ही जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था रखी जाय।

(4) उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/– के 11 पदों में से एक पद को संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/– में उच्चीकृत किया जाय। तद्नुसार विभाग में संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के 02 पद उपलब्ध हो जायेंगे।

(5) सम्भागीय लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड–1 वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/– के 53 पदों में से 21 पदों को उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी पदनाम से वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/– में उच्चीकृत किया जाय। तद्नुसार उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के 31 पद उपलब्ध हो जायेंगे। प्रधानाचार्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/– में उपलब्ध 01 पद में कोई संशोधन अपेक्षित नहीं है। उक्तानुसार उपलब्ध उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के 31 पदों में से प्रत्येक मण्डल में एक–एक पद रखे जाये तथा शेष पदों का चिन्हांकन कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर विभाग द्वारा किया जाय।

(6) जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड–2 वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/– (संस्तुति संख्या–3 के अनुसार वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–में उच्चीकृत) के 87 पदों तथा सम्भागीय लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड–1

वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/– के शेष 32 पदों का सम्मिलित संवर्ग बनाया जाय तथा उक्तानुसार गठित सम्मिलित संवर्ग का पदनाम जिला लेखा परीक्षा अधिकारी निर्धारित किया जाय। उक्तानुसार गठित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी संवर्ग में उपलब्ध 119 पदों के तैनाती स्थल का चिन्हांकन कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर विभाग द्वारा किया जाय।

(7) पूर्व उप प्रस्तर–6 के अनुसार गठित संवर्ग के 50 प्रतिशत पदों पर सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी से पदोन्नति द्वारा तथा 50 प्रतिशत पदों पर वाणिज्य स्नातक उपाधि की अर्हता वाले अभ्यर्थियों से लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की व्यवस्था रखी जाये। साथ ही उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी संवर्ग के पदों पर सम्भागीय लेखा परीक्षा अधिकारी/जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के सम्मिलित संवर्ग के पदधारकों से पदोन्नति द्वारा भर्ती की व्यवस्था की जाये।

(8) अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग तथा उ0प्र0 सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग के पदों का ढॉचे (पदनाम, वेतनमान तथा अर्हता/भर्ती की प्रकिया) का स्वरूप, पूर्व उप प्रस्तरों में इंगित अभिमत के आलोक में, निम्नानुसार होगा :—

क0 सं0	पदनाम/ पदों की संख्या	वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन)(रू0 में)	भर्ती का श्रोत तथा निर्धारित अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/01	16400–20000 (वेतन बैण्ड–4 एवं 8900)	मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी और उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। परन्तु – यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो पद को स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा के मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त निदेशकों और उप निदेशकों में से जिन्होंने ऐसे पदों पर क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। या उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा (ज्येष्ठ वेतनमान) के सदस्यों में से स्थानान्तरण (प्रतिनियुक्ति) द्वारा भरा जा सकता है।
2.	संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/02	12000–16500 (वेतन बैण्ड–3 एवं 7600)	मौलिक रूप से नियुक्त उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारियों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
3.	उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/ 32 प्रधानाचार्य/01	10000–15200 (वेतन बैण्ड–3 एवं 6600)	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी संवर्ग के पदधारकों से पदोन्नति द्वारा।
4.	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी / 118 प्रवक्ता/04	8000–13500 (वेतन बैण्ड–3 एवं 5400)	50 प्रतिशत पद सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा। 50 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि और देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान।

5.	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी / 255	7500–12000 (वेतन बैण्ड–2 एवं 4800)	पदोन्नति द्वारा (मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों में से)
6.	*ज्येष्ठ लेखा परीक्षक / 1313	5500–9000 (वेतन बैण्ड–2 एवं 4200)	03 वर्ष की सेवा वाले लेखा परीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा।
7.	*लेखा परीक्षक / 430	4500–7000 (वेतन बैण्ड–2 एवं 2800)	लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती। अर्हता–किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी सहित कम्प्यूटर में "ओ" लेवल का डिप्लोमा।

* लेखा परीक्षक एवं ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पदों की कुल संख्या 01 एवं 03 के अनुपात में विभाजित करते हुए उक्त पदों की संख्या चिन्हित की जायेगी।

(9) समिति ने वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के अध्याय में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें के अन्तर्गत स्थापित प्रशिक्षण संस्थानों को वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में स्थापित प्रशिक्षण संस्थान के साथ समायोजित करने की संस्तुति की गयी है। उक्त व्यवस्था के उपरान्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें संगठन में सृजित प्रधानाचार्य ग्रेड वेतन रू0 6600/– तथा वरिष्ठ प्रवक्ता ग्रेड वेतन रू0 5400/– के पद इस संगठन में ही बने रहेंगे और पदधारकों की तैनाती उक्तानुसार स्थापित पुनर्गठित प्रशिक्षण संस्थान में की जायेगी।

(10) मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें के अधीन फैजाबाद में स्थापित प्रशिक्षण संस्थान को वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ में समाहित किया जाय।

(11) विभिन्न विभागों में उपलब्ध सामान्य कोटि के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध 26 संवर्गो/पदों के सम्बन्ध में समिति द्वारा अपनी संस्तुतियॉ पत्र संख्या–वे0स0–48/दस–10, दिनांक 22 जनवरी, 2010 तथा नवम् प्रतिवेदन भाग–1/2 में दी जा चुकी है। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें विभाग के अधिकतर पद सामान्य कोटि के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध संवर्ग/पदों से सम्बन्धित हैं। अतः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें विभाग में उपलब्ध उक्त श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में यहॉ संस्तुति देने का अवसर नहीं रह गया है।

(12) मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें विभाग के अन्य किसी पद पर कोई विसंगति समिति के संज्ञान में नहीं है।

(13) समिति की निम्न संस्तुतियों को सुझाव के रूप में स्वीकार किया जाय :––

(क) विभाग में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त गम्भीर शिकायतों एवं गबन को संज्ञान में लेते हुए, पूर्व से निर्धारित टूर प्रोग्राम में किये जाने वाले लेखा परीक्षा के साथ उक्त गम्भीर शिकायतों एवं गबन की जॉच भी की जाय। साथ ही सम्बन्धित अवधि की आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत

करते समय उक्त जॉच से सम्बन्धित रिपोर्ट को भी उसमें शामिल किया जाय।

(ख) मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें उ0प्र0 स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रूप से लेखा परीक्षा का कार्य कर सके इस हेतु संगठन द्वारा किये जा रहे लेखा परीक्षा के दायित्वों और उसको विनियमित करने के लिये अधिनियम बनाया जाय।

2— कृपया उपर्युक्तानुसार लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन हेतु पूर्व प्रस्तर—1 के उप प्रस्तर—13 में सुझाव के रुप में स्वीकार की गयी संस्तुतियों के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें। शेष निर्णयों के कम में आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या—वे0आ0—2—289 (1)/दस—54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1
2— कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3— निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
संयुक्त सचिव।